रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1985/चैत्र 4, 1907
No. 138] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1985/CHAITRA 4, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1985

का. आ. 222(अ):—केन्द्रीय सरकार, शपथ अधिनियम, 1969 (1969 का 44) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 867(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1984 द्वारा गठित जांच आयोग (31 अक्तूबर, 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में) के सचिव, श्री पी. वी. रमनाराव को,

उक्त आयोग में फाइल किए जाने वाले शपथ-पत्रों के प्रयोजनार्थ, शपथ दिला और प्रतिज्ञान कराने की शक्ति प्रदान करती है ।

[सं. 1-12014/75/84-आई एस (डी-3)]
डा. एस. के. पचौरी, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1985

S.O. 222(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Oaths Act, 1969 (44 of 1969), the Central Government hereby empowers Shri P. V. Ramana Rao, Secretary in the Commission of Inquiry constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 867(E), dated the 20th November, 1984 (relating to the assassination of the late Prime Minister, Smt. Indira Gandhi on the 31st October, 1984) to administer oaths and affirmations for the purpoes of affidavits filed with the said Commission.

[No. I-12014|75|84-IS(D.III)]
Dr. S. K. PACHAURI, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985